

कार्यालय-जिला एवं सेशन न्यायाधीश, (अभिलेखागार) प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक / जायाअभिलेख / 2023.24 / 418

दिनांक - 28-11-2023

निलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, प्रतापगढ़ के आदेश क्र.स्था/गार्ड/2023/169 दिनांक 09.11.23 की पालना में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 16 से 27 के तहत प्रतापगढ़ न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों के केन्द्रीय अभिलेखागार में जाया अभिलेख एवं पत्र पत्रिकाओं आदि की अनुमानित 5-7 विवंटल रद्दी (वजन कम या ज्यादा हो सकता है) की निलामी कार्यवाही दिनांक 14.12.2023 को समय.दोपहर 2.30 बजे जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, प्रतापगढ़ में खुली निलामी बोली द्वारा की जावेगी। इच्छुक खरीददार किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में रद्दी एवं निलामी की शर्तों का अवलोकन कर सकते हैं।

- इच्छुक खरीददार निलामी की तिथि को निर्धारित समय पर स्वयं उपस्थित होकर निम्नानुसार शर्तों के अन्तर्गत निलामी बोली में भाग ले सकते हैं।
- प्रत्येक बोलीदाता को निलामी बोली लगाने से पूर्व दिनांक 14-12-23 को 02.30Pm बजे तक धरोहर राशि रु. 1000/-एक हजार रु. जिला एवं सेशन न्यायालय, प्रतापगढ़ में नकद जमा करानी होगी।
- निलामी की तिथि स्थगित/परिवर्तन करने का तथा निलामी की अंतिम बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कमेटी का रहेगा।
- निलामी प्रति विवंटल की दर से की जावेगी और नियत सरकारी बोली से आगे रु.01 के गुणक में बोली स्वीकार होगी। इस संबंध में निलामी प्रारम्भ होने पर सभी को सूचित किया जावेगा।
- अधिकतम निलामी की राशि बोलने वाले के नाम निलामी समाप्त करने या नहीं करने का अधिकार पूर्णतः कमेटी को रहेगा।
- निलामी में अधिकतम बोलीदाता/खरीददार को रद्दी गोदाम (निलामी स्थल) से निकालने से लेकर उसकी भराई, तुलाई, लदान समस्त प्रकार के टैक्स GST अथवा अन्य आदि समस्त व्यय स्वयं वहन करना होगा। निलामशुदा रद्दी तौलने संबंधी कांटा की व्यवस्था एवं समस्त व्यय खरीददार के जिम्मे होगा।
- निलामी में खरीददार को यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि जाया अभिलेख/पत्रावलियों की रद्दी का उपयोग लुगदी बनाने हेतु ही किया जावेगा।
- खरीददार को इस बाबत् आश्वासन पत्र/अन्डरटेंकिंग पत्र निलामी कमेटी को देना होगा कि वह भराई, लदान व परिवहन के समय रद्दी को ढक कर बोरों में भरकर पूर्णतया सुरक्षित रूप से उसके संग्रहण/संधारण/उपचार स्थान पर ले जायेगा, जिससे कि न्यायिक अभिलेखों के अंश इधर-उधर फैलने अथवा बिखरने से बच सके।
- निलामी के सफल खरीददार को रद्दी तौलने के बाद प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि उसी समय जिला एवं सेशन न्यायालय, प्रतापगढ़ के कार्यालय में जमा करानी होगी और यह रकम जमा कराने के पश्चात् ही निलामशुदा रद्दी उस खरीददार को सूपूर्द की जायेगी।
- सफल बोली दाता को बोली स्वीकृत होने पर तत्काल सम्पूर्ण राशि उपरोक्त धरोहर राशि सहित जमा करवाकर राशि रु.100/- के स्टाम्प पर इस आशय का अनुबन्ध करना होगा की स्वयं अपने खर्चे से निलामशुदा रद्दी निर्धारित समयावधि में ले जायेगा अन्यथा उसके द्वारा जमा कराई गई सम्पूर्ण राशि जब्त सरकार मानी जायेगी तथा रद्दी निलामी की कार्यवाही दोबारा की जायेगी।
- जिन बोली दाताओं की निलामी स्वीकार नहीं होगी उनको जमा कराई गई धरोहर राशि निलामी समाप्त होने के पश्चात् कार्यालय समय में लौटा दी जायेगी।
- सफल बोलीदाता को कुल निलामी राशि पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले समस्त कर अदा करने की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।

अध्यक्ष

नाकारा / अप्रचलित सामग्री /
रद्दी निलामी कमेटी,
जिला एवं सेशन न्यायालय,
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक / ४९-५८०

दिनांक २८.११.२०२३

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- समस्त माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय-राजस्थान.....
- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, प्रतापगढ़ (राज.)
- समस्त न्यायालय-प्रतापगढ़ न्यायक्षेत्र.....
- श्री जिला कलक्टर महोदय, प्रतापगढ़ (राज.)
- श्री अध्यक्ष/सदस्य-नाकारा/अप्रचलित/बेकार घोषित सामग्री/रद्दी कागज निलामी कमेटी-जिला न्यायालय-प्रतापगढ़
- श्री जनसम्पर्क अधिकारी-जिला जन सम्पर्क कार्यालय, प्रतापगढ़
- नोटिस बोर्ड जिला एवं सेशन न्यायालय, प्रतापगढ़/जिला कलेकट्री, प्रतापगढ़/आमचौराहा
- सिस्टम ऑफिसर-जिला न्यायालय, प्रतापगढ़ न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अध्यक्ष

नाकारा/अप्रचलित सामग्री/
रद्दी निलामी कमेटी,
जिला एवं सेशन न्यायालय,
 प्रतापगढ़ (राज.)